जन-धन से जन सुरक्षा : बीमा व पेंशन की त्रिआयामी पहल

—शिशिर सिन्हा

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के सहारे वित्तीय समावेशन एक जून से नए दौर में प्रवेश कर रहा है। पहले दौर में जहां जोर हर किसी को बैंक तक पहुंचाने का था, वहीं अब इस दौर में कोशिश बैंक पहुंचे लोगों के आने वाले दिन बेहतर बनाने की है। यही नहीं पहले दौर में जहां दुर्घटना और जीवन बीमा को नए खाते के साथ बगैर किसी शुल्क के मुहैया कराया गया, वहीं अब बहुत ही मामूली शुल्क पर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन की सुविधा मिलेगी।

"भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग–स्वास्थ्य, दुर्घटना अथवा जीवन–किसी प्रकार के बीमा के बगैर ही है। दुखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी तो उसके पास कोई पेंशन नहीं होगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर, मैं सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के लिए कार्यशील सामाजिक नेटवर्क सृजित करने के कार्य का प्रस्ताव करता हूं।" वित्तमंत्री की इस घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री जन–धन योजना के सहारे वित्तीय समावेशन एक जून से नए दौर में प्रवेश कर रहा है।यह सब कुछ उस भारत के लिए है जहां आबादी का 65 प्रतिशत तो 35 वर्ष से कम उम्र का है ही, वहीं 60 फीसदी से भी ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि में जहां अनिश्चितता चरम पर है, वहीं कृषि पर निर्भर रहने वालों के लिए भी दुर्घटना कहीं भी और कभी भी हो सकती है। वैसे तो किसान कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, फिर भी किसानी करने वाले उम्र के एक ऐसी पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उन्हे नौकरीपेशा लोगों की तरह पेंशन जैसी सुविधा की दरकार होती है। ऐसी ही कुछ सोच के साथ प्रधानमंत्री जन–धन योजना के प्लेटफॉर्म पर सामाजिक सुरक्षा की तीन नई योजनाएं लोगों के सामने हैं। और हां, ये तीनों योजनाएं, गांव और शहर में रहने वाले हर किसी के लिए उपलब्ध हैं। पहली दो योजनाएं बीमा से जुड़ी हैं जबकि तीसरी पेंशन से। पहले बात बीमा की।

बीमा का दायरा बढ़ाने से मुख्य रूप से दो फायदे होंगे। पहला तो बीमित व्यक्ति या उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा, वहीं दूसरी ओर घरेलू बचत में बढ़ोतरी होगी जिससे विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के लिए पैसा उपलब्ध हो सकेगा। आज की तारीख में हमारी घरेलू बचत, सकल घरेलू उत्पाद के करीब 30 प्रतिशत के बराबर है। सरकार को उम्मीद है कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के साथ–साथ सार्वजनिक

निवेश में भी बढ़ोतरी होगी जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।

एक बात और। देश में बीमा निवेश की दर, दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम है। राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा के एक जवाब से पता चलता है कि 2013 के दौरान 6.3 प्रतिशत के विश्व औसत के मुकाबले देश में यह आंकड़ा 3.9 प्रतिशत था। इसमें जीवन बीमा की हिस्सेदारी 3.1 प्रतिशत और साधारण बीमा की हिस्सेदारी 0.8 प्रतिशत थी। साधारण बीमा से मतलब दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा से है। बीमा निवेश की दर दरअसल सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रीमियम का अनुपात होता है और ये संकेत देता है कि किस तरह से लोगों को बीमा सुरक्षा मिली हुई है। बीमा क्षेत्र में निवेश का स्तर वस्तुतः अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के स्तर, वित्तीय लिखतों में बचत की मात्रा एवं बीमा क्षेत्र के आकार एवं पहुंच जैसे पहलुओं पर अधिक मात्रा में निर्भर करता है।

जन–जन के लिए जीवन बीमा

जरा सोचिए एक रुपये से भी कम प्रतिदिन की लागत पर दो लाख रुपये की जीवन बीमा सुरक्षा क्या संभव है? जी हां,

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की शुरुआत

सामाजिक सुरक्षा की तीन योजनाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम हैं जो गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये अनूठी योजनाएं देश के लाखों गरीब लोगों को सस्ती दरों पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होंगी।

9 मई, 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन योजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं को देश भर में एक साथ 115 स्थानों पर आयोजित समारोह में शुरू किया गया। **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** के अंतर्गत सिर्फ 12 रुपये सालाना देकर किसी भी व्यक्ति को 2 लाख रुपये का बीमा प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ 18 से 70 आयु वर्ग के सभी बचत खाताधारक उठा सकते हैं। इस योजना को बैंकों द्वारा जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंक भी शामिल हैं, लागू किया जाएगा।

'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' को भी काफी सोच–समझ कर तैयार किया गया है। इसके तहत 18–50 साल के आयु वर्ग के किसी भी बचत बैंक खाताधारक को 2 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर की पेशकश की जा रही है। इसके लिए प्रति वर्ष महज 330 रुपये का भुगतान करना होगा। इस योजना की पेशकश भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) अथवा उन जीवन बीमा कंपनियों के जरिए की जा रही है, जो समान शर्तों पर जीवन बीमा की पेशकश करने की इच्छुक हैं।

जहां तक **'अटल पेंशन योजना'** का सवाल है, इसके तहत असंगठित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिसमें तकरीबन 40 करोड़ कर्मचारी कार्यरत हैं और जो सभी तरह के कर्मचारियों के 80 फीसदी से भी ज्यादा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत प्रति माह 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये की तय न्यूनतम पेंशन दी जाएगी, जिसकी शुरुआत 60 साल की उम्र से होगी। पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित कर्मचारी द्वारा मासिक योगदान कितना किया जा रहा है और उसने किस उम्र में यह बीमा खरीदा है। किसी भी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम 20 साल के लिए इसकी खरीदारी करनी होगी। इस योजना के तहत सर्वाधिक अहम बात यह है कि इसमें सरकार की ओर से प्रथम पांच वर्षों तक हर साल 1000 रुपये अथवा कुल अंशदान का 50 फीसदी, इसमें से जो भी कम हो, का सह–योगदान किया जाएगा। सरकार की ओर से यह योगदान तभी किया जाएगा जब कोई व्यक्ति इस योजना को इस साल की समाप्ति से पहले यानी 31 दिसंबर, 2015 तक खरीदेगा। किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य और आयकरदाता इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकेंगे। अंशदाता की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी–पति को पेंशन मिल पायेगी और उसके बाद पेंशन निधि नामित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। सरकार न्यूनतम नियत पेंशन लाभ की गारंटी प्रदान करेगी।

पारिवारिक और सामाजिक ढांचे में बदलावों के कारण हमारे समाज में स्वाभाविक सुरक्षा धीरे–धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग अपरिहार्य कारणों के चलते असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन तीन योजनाओं से निर्धन और जरूरतमंद लोगों के बीच बढ़ती असुरक्षा को दूर करने में मदद मिलेगी।

(पसूका से साभार)

जन–धन योजना की उपलब्धियां

10 करोड़ खाते खोलने के लक्ष्य से आगे बढ़कर 22 अप्रैल 2015 तक 15.15 करोड़ खाते खोले गए जिसमें से 9.07 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.08 करोड़ खाते शहरी क्षेत्रों में खोले गए। इस योजना के तहत अब 22 अपैल, 2015 तक 15,965.38 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं और 13.58 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

जन–धन योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 51 प्रतिशत महिलाओं के हैं जिसमें 60.53 प्रतिशत खाते ग्रामीण महिलाओं के हैं। इससे पता चलता है कि वित्तीय समावेशन पहल से समाज में आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण महिलाओं को फायदा पहुंचा है। करीब 60 प्रतिशत खाते ग्रामीण भारत में खोले गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या कृषकों की है जोकि इस योजना से लाभान्वित होंगे। ये खाते 1.25 लाख बैंक मित्रों के बड़े नेटवर्क से जुड़े होंगे जोकि पूरे देश में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

बजट में घोषित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जरिए आप यदि दो शर्तें किसी भी बैंक में खाता और 18–50 साल की उम्र पूरी करते हैं तो जीवन बीमा की सुरक्षा हासिल कर सकते हैं। सालाना प्रीमियम की रकम 330 रुपये होगी जो एकमुश्त दिया जाना है। ये रकम आपके बैंक खाते से सीधे जमा होगी। उपरोक्त दो शर्तें पूरी करने वाले परिवार के हर सदस्य को ये सुविधा मिलेगी। एक बात और, चाहे आपके जितने भी बचत खाते हो, लेकिन रियायती प्रीमियम वाली बीमा सुरक्षा योजना में सिर्फ एक ही बचत खाते के माध्यम से शामिल हुआ जा सकता है।

अब योजना के सूक्ष्म बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी होगा।

- योजना के तहत 330 रुपये के प्रीमियम पर जीवन बीमा सुरक्षा एक वर्ष के लिए है। दूसरे शब्दों में, 1 जून, 2015 से 31 मई, 2016 (दोनों तारीख शामिल) के बीच यदि योजना में शामिल व्यक्ति की किसी वजह से मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को दो लाख रुपये मिलेंगे।
- बीमित व्यक्ति, बीमा सुरक्षा की अंतिम तारीख तक जीवित रहता है तो उसे ना तो प्रीमियम की रकम वापस मिलेगी और ना ही कोई और रकम।
- बीमा सुरक्षा का हर साल नवीकरण करना होगा। दूसरे शब्दों में, हर वर्ष 31 मई तक या उसके पहले आगे के एक वर्ष के लिए सालाना प्रीमियम का भुगतान एकमुश्त कर देना होगा। मसलन, 31 मई 2016 तक प्रीमियम चुकाकर, 1 जून 2016 से 31 मई 2017 तक के लिए बीमा सुरक्षा ली जा सकती है।
- देरी से भुगतान का विकल्प है, लेकिन इसके लिए अच्छे स्वास्थ्य का स्व प्रमाणपत्र भी देना होगा।
- इस योजना से बाहर निकलने वाला व्यक्ति किसी भी समय, भविष्य के वर्षों में निर्धारित प्रोफार्मा में अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रस्तुत कर योजना में दोबारा शामिल हो सकता है।
- यदि 50 वर्ष की उम्र तक सालाना नवीकरण कराया जाता रहा है तो बीमा सुरक्षा 55 वर्ष की उम्र तक संभव है।

इस वर्ष योजना के लिए प्रारम्भिक नामांकन की तारीख 31 अगस्त या 30 नवम्बर तक बढ़ायी जा सकती है। इसके बाद भी यदि कोई योजना में शामिल होना चाहे तो उसे एक स्व–प्रमाणीकरण देना आवश्यक होगा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और किसी भी 'गंभीर बीमारी' से ग्रस्त नहीं हैं। यहां इस बात पर गौर करना जरूरी है कि आप किसी भी बीमा कम्पनी से सीधे जाकर यह बीमा सुरक्षा नहीं ले सकते। आप अपने बैंक के जरिए ही योजना में शामिल होने और स्वतः नामे की सहमति का फॉर्म देकर ही ये सुविधा ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 2016 या उसके बाद के वर्ष में भी योजना में शामिल हो सकता है। बस प्रक्रिया बैंक के जरिए ही पूरी करनी होगी। एक बात और, वैसे तो सरकार ने कहा है कि वार्षिक दावा अनुभव के आधार पर प्रीमियम की दर की समीक्षा की जाएगी, लेकिन कोशिश यही है कि बहुत ही ज्यादा दावे का निपटारा नहीं हो तो पहले तीन वर्षों में प्रीमियम की दर नहीं बढ़ेगी। इस प्रीमियम को सेवा कर से मुक्त रखा गया है।

जन–जन के लिए दुर्घटना सुरक्षा

अब बात प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। सिर्फ 12 रुपये के सालाना प्रीमियम (यानी 1 रुपये हर महीने) की लागत पर यह बीमा सुरक्षा मिलेगी। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने या फिर अपंग हो जाने की सूरत में मुआवजा मिलेगा। मृत्यु हो जाने की स्थिति में योजना में शामिल व्यक्ति के आश्रितों को 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसके अतिरिक्त दुर्घटना से अपंगता की निम्न परिस्थितियो में 2 लाख रुपये का मुआवजा मिल सकता है।

- यदि दुर्घटना की वजह से दोनों आंखें पूरी तरह से खराब हो जाए और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं हो,
- दोनों पैर बेकार हो जाए,
- एक आंख बेकार हो जाए, या
- एक हाथ अथवा एक पैर काम करने में अक्षम हो जाए।

इसके अतिरिक्त एक आंख की नजर पूरी तरह से चली जाए और वहां सुधार की कोई गुंजाइश नहीं हो या फिर एक पैर पूरी तरह से बेकार हो जाए तो एक लाख रुपये का मुआवजा मिल सकता है।

इस योजना में भाग लेने के लिए आपको अपने बैंक से सम्पर्क कर सहमति और अपने नाम का फॉर्म जमा करना होगा। सालाना प्रीमियम की रकम यानी 12 रुपये एकमुश्त सीधे आपके खाते से जमा होगी। यदि यह रकम 1 जून को या उससे पहले काटी गयी है तो बीमा सुरक्षा का फायदा 1 जून से 31 मई के बीच मिलेगा। यदि 1 जून के बाद रकम काटी गयी है तो बीमा सुरक्षा अगले माह की पहली तारीख से मिलेगी। यहां भी सरकार की कोशिश है कि पहले तीन वर्षों तक प्रीमियम की दर में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाए, लेकिन दावा भुगतान बहुत ही ज्यादा हो जाए तो ये रकम बढ़ सकती है।

अब आइए नजर डालते हैं इस योजना के सूक्ष्म बिंदुओं पर–

- योजना में शामिल होने वाले की कम से कम उम्र 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष होनी चाहिए।
- यदि एक से ज्यादा बैंक में बचत खाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर खाते से नयी बीमा योजना में जुड़ा जा सकता है।
- यदि अलग–अलग बैंक के अलग–अलग बचत खाते से प्रीमियम अदा करने को आवेदन दिया जाता है और प्रीमियम जमा भी हो जाए तो एक को छोड़ बाकी सभी जगह से अदा प्रीमियम जब्त हो सकता है।
- सबसे अहम बात है कि एक बार में चुकाया प्रीमियम एक साल के लिए बीमा सुरक्षा देगा। लम्बे समय तक सुविधा पाने के लिए हर साल प्रीमियम जमा करवाना सुनिश्चित करना होगा।
- और हां, किसी तरह का दावा नहीं करने की सूरत में जमा प्रीमियम वापस नहीं होगा या फिर उसी जमा पर आगे के लिए नवीकरण नहीं कराया जा सकता।

जन–धन योजना की बीमा सुरक्षा से इतर

प्रधानमंत्री जन–धन योजना में भी जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा की सुविधा मिली हुई है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से बिल्कुल अलग है। और जिन लोगों को जन–धन योजना में बीमा सुरक्षा मिली वो भी नयी योजनाओं में शामिल हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत जीवन बीमा की सुविधा उन सभी को बगैर प्रीमियम चुका दी गई जिन्होंने 15 अगस्त, 2014 से लेकर 26 जनवरी, 2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खुलवाया। इसके मुताबिक खाताधारी परिवार में मुखिया या फिर मुखिया की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा होने पर किसी दूसरे व्यक्ति को बीमा सुरक्षा मिलेगी। दूसरे शब्दों में, परिवार में कमाई करने वाले की मृत्यु होने की सूरत में 30 हजार रुपये बतौर बीमा की रकम दी जाएगी। लेकिन यहां शर्त ये है कि खाते में आधार नम्बर जुड़ा होना चाहिए या आधार जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी हो और रुपे डेबिट–सह–एटीएम कार्ड को इस्तेमाल किया गया हो। यह बीमा सुरक्षा पांच वर्षों यानी 31 मार्च 2020 तक के लिए उपलब्ध है। उसके बाद प्रीमियम चुका कर बीमा सुरक्षा की सुविधा दी जा सकती है।

इसी तरह योजना में खोले गए हरेक खाते पर रुपे डेबिट–सह–एटीएम कार्ड दिया गया। इस कार्ड के जरिए एक लाख रुपये तक की दुर्घटना बीमा सुरक्षा का प्रावधान है। इसके लिए अलग से प्रीमियम नहीं चुकाने की शर्त है। बस शर्त ये है कि दुर्घटना की तारीख से 45 दिन पहले तक कम से कम एक बार कार्ड का इस्तेमाल किया गया हो। दुर्घटना में मौत होने पर कानूनी वारिस को मुआवजा मिलेगा जबकि स्थायी अपंगता की सूरत में प्रभावित व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा। खास बात ये है अगर दुर्घटना विदेश में हो जाए तो भी राहत राशि मिलेगी, लेकिन विदेशी मुद्रा में नहीं, बल्कि भारतीय रुपये में ही।

अटल पेंशन योजना

बीमा सुरक्षा का फायदा उम्र के एक पड़ाव तक ही मिल पाता है, लेकिन जिंदगी अगर उसके आगे चली तो कुछ अलग

ही उपाय करने होंगे। क्योंकि उम्र ढलने के साथ श्रम कर पैसा कमाने का सामर्थ्य तो नहीं रह पाता, लेकिन आवश्यकताएं बनी ही रहती हैं, या यूं कह ले कि बढ़ भी जाती हैं। इस सिलसिले में सरकारी नौकरी या कुछ हद तक संगठित क्षेत्र में नौकरी करने वालों को पेंशन यानी हर महीने एक निश्चित रकम ताउम्र मिलती है। अगर सेवानिवृत्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को ताउम्र और कुछ विशेष परिस्थितियों में बच्चों को भी पेंशन मिलती है। इसके अलावा नयी पेंशन योजना में पैसा लगाकर पेंशन की सुविधा दी जा सकती है। लेकिन इन सभी का विस्तार मूल रूप से संगठित क्षेत्र में काम करने वाले समाज के एक छोटे तबकों तक ही हो पाया है।

इसी को ध्यान में रखते हुए जन–जन की पेंशन योजना अटल पेंशन योजना का ऐलान किया गया है। अटल पेंशन योजना का जोर असंगठित क्षेत्र पर होगा। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसएसओ के एक सर्वेक्षण (66वां दौर, वर्ष 2011–12) के मुताबिक देश में श्रमिकों की कुल तादाद 47.29 करोड़ है। इनमे से करीब 88 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में हैं, जहां पेंशन को लेकर कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है। वैसे तो इन श्रमिकों के लिए स्वावलम्बन योजना शुरू की गई, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि 60 वर्ष की उम्र के बाद किस तरह से पेंशन लाभ मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए नई योजना का खाका बना।

नई योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये प्रति माह निर्धारित न्यूनतम पेंशन मिलेगी। यह 18 और 40 वर्ष के बीच दिए गए अभिदान विकल्प पर निर्भर होगा। इस तरह योजना के तहत कम से कम 20 वर्ष या उससे ज्यादा पैसा जमा कराना होगा। कम उम्र में शुरू करने पर हर महीने जमा की जाने वाली राशि कम होगी जबकि ज्यादा उम्र पर ये रकम ज्यादा हो जाएगी। सरकार योजना के तहत कम से कम एक निश्चित पेंशन की गारंटी देगी।

यद्यपि यह योजना निर्धारित आयु समूह में बैंक खाताधारकों के लिए है लेकिन 31 दिसम्बर, 2015 से पहले इस योजना में शामिल होने वाले लोगों तथा वैसे लोगों के लिए जो किसी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं या जो आयकरदाता नहीं हैं, पांच वर्षों तक केन्द्र सरकार कुल अभिदान का 50 प्रतिशत या प्रतिवर्ष 1,000 रुपये, जो भी कम हो, देगी।

अब इस योजना के सूक्ष्म बिंदुओं पर नजर–

- सबसे पहले बैंक में खाता होना चाहिए।
- योजना में कोई भी बैंक खाताधारक स्वतः नामे सुविधा के जरिए हर महीने की रकम जमा करा सकता है।
- स्वावलम्बन योजना में शामिल लोग भी नयी योजना में शामिल हो सकते हैं।
- स्वावलम्बन योजना में शामिल व्यक्ति यदि 40 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो तो कुल जमा पैसा एकमुश्त ले सकता है, या फिर आवेदन देकर 60 वर्ष की उम्र के बाद मासिक पेंशन के रूप में देने का आग्रह कर सकता है।
- भुगतान में देरी होने पर 1 रुपये से 10 रुपये प्रति माह तक दंड लगेगा।
- 40 वर्ष की उम्र के पहले मासिक अंशदान बंद करने की सूरत मे 6 महीने बाद पहले खाता फ्रिज होगा। फिर भी अगर अंशदान नहीं हो तो साल भर बाद खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा और दो साल बाद ऐसे खातों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
- 60 वर्ष की आयु के पहले योजना छोड़ने की अनुमति नहीं है लेकिन योजना में शामिल व्यक्ति की मृत्यु या लाइलाज बीमारी की सूरत में योजना से बाहर होने की सुविधा मिल सकती है।

कुल मिलाकर बीमा की दो और पेंशन की ये सहूलियतें प्रधानमंत्री जन–धन योजना लांच करते वक्त की गई घोषणा के मुताबिक ही हैं जिसमें कहा गया था कि योजना के दूसरे चरण में जोर लोगों को सूक्ष्म बीमा उपलब्ध कराने और व्यवसाय प्रतिनिधियों के जरिए स्वावलम्बन जैसी असंगठित क्षेत्र की पेंशन योजना शुरू करने पर होगा। इस सिलसिले में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में भी कहा–

"ये सामाजिक सुरक्षा स्कीमें जन–धन प्लेटफार्म का उपयोग करने में हमारी वचनबद्धता यह सुनिश्चित करने के लिए दर्शाती हैं कि किसी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना अथवा वृद्धावस्था में अभाव की चिन्ता न करनी पड़े।"

जन–धन योजना के तहत 15.15 करोड़ से भी ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इसी के साथ यह भी कि करीब–करीब हर भारतीय परिवार के पास कम से कम एक बैंक खाता जरूर है। हर बैंक खाते को आधार से जोड़ा जा रहा है। इससे सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली रकम और सब्सिडी सही लोगों तक पहुंच सकेगी जिससे अनावश्यक खर्च पर लगाम लगेगी। दूसरी ओर, इन्हीं खातों के जरिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था आने वाले दिनों को बेहतर बनाएगी।

(लेखक द हिंदू बिजनेस लाइन में डिप्टी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में अमर उजाला, आज तक और सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहे। करीब दो दशकों से सरकार की आर्थिक नीतियों और संसदीय गतिविधियों पर नियमित लेखन।)
ई–मेल : hblshishir@gmail-com